चाय के स्टालों के लिए ठेके देने के लिए नये आवेदन-पत्र मंगाने के प्रस्ताव के बारे में 2 अगस्त, 77 के अतारांकित प्रश्न संख्या 5750 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अन्धेरी तथा ग्रांट स्टेशनों पर चीजों के बिक्री के लिए स्टालों के ठेके, जिन में चाय के स्टालों के ठेके भी शामिल हैं, देने सम्बन्धी कार्यवाही पूरी हो गई है ;

(ख) क्या सरकार का विचार, आपात स्थिति के दौरान विशिष्ट व्यक्तियों की हिमायत करके प्रदान किये गये ठेकों के स्थान पर नये आवेदन-पत्र आमंत्रित करने का हैं; और

(ग) यदि हां, तो कब तक ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण): (क) से (ग) . पश्चिम और मध्य रेलों के बम्बई मंडलों के विभिन्न स्टेशनों, जिनमें अंधेरी और ग्रांट रोड शामिल हैं, पर चलने वाले खान-पान ठेकों के विभिन्न पहलुओं के विस्तृत जांच -पड़ताल रेलवे बोर्ड के सतर्कता निदेशालय द्वारा की जा रही है और यह जांच-पड़ताल अभी जारी है । इन जांच-पड़तालों के पूरा हो जाने और सतर्कता विभाग द्वारा अन्तिम रिपोर्ट पेश कर देने के बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। तब तक इन मामलों में "यथावत" स्थिति बनाये रखने के लिए विनिश्चय किया गया है ।

सहरसा से जाने वाली और वहां आने वाली गाड़ियां

327. **श्री विनायक प्रसाद यादव** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पूर्वोत्तर रेलवे के समस्तीपुर डिवीजन में सहरसा जंक्शन से प्रतिदिन (24 घंटों के अन्दर) कितनी गाड़ियां मानसी और बरौनी के लिए जाती हैं और कितनी गाड़ियां मानसी और बरौनी से सहरसा पहुंचती हैं, उनमें से कितनी गाड़ियां तेज सवारी गाड़ियां है और कितनी साधारण हैं तथा उनके आगमन और प्रस्थान का समय क्या है ;

(ख) कोसी एक्सप्रेस, जो सहरसा होकर फारबिसगंज और बरौनी के बीच चलती हैं, किन-किन स्टेशनों और हाल्टों पर ठहरती हैं; और

(ग) क्या सरकार का विचार इस गाड़ी को कोपरिया स्टेशन पर खड़ी करने का हैं जिसके लिए काफी समय से मांग की जा रही है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) सहरसा से मानसी । बरौनी तक और वापसी यात्रा के लिए इस समय 7 जोड़ी गाड़ियां, जिसमें 2 जोड़ी एक्ससप्रेस गाड़ियां भी शामिल हैं, निम्न-लिखित सारणी के अनुसार चलायी जा रही हैं :—

मानसी की ओर :	385 सवारी	401 सवारी	411 सवारी	67 एक्सप्रेस	415 सवारी	421 सवारी	41 एक्सप्रेस	
सहरसा से प्रस्थान	00.50	02.50	10.00	11.05	13.15	16.45	23.30	
मानसी से :	402 सवारी	386 सवारी	42 एक्सप्रेस	412 सवारी	422 सवारी	68 एक्सप्रेस	416 सवारी	
सहरसा पहुंच	00.05	03.30	04.25	09.20	12.10	14.00	17.30	

(ख) और (ग). 67/68 कोसी एक्सप्रेस गाड़ियां ललितग्राम, प्रतापगंज, राघोपुर, सरायगढ़, थरबिटिया, सुपौल, सहरसा, सिमरी बख्तियारपुर, मानसी, खगरिया तथा बेगुसराय में ठहरती है। 67/68 कोसी एक्सप्रेस को कोपरिया स्टेशन पर ठहराने का औचित्य नहीं पाया गया है।

रेलवे में हिन्दी का प्रयोग

328. **श्री बृजराज सिंह** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भूतपूर्व रेल मंत्री के कार्यकाल में विभिन्न रेलवे जोनों में विशेष कर उन रेलवे जोनों में जहां हिन्दी या तो मातृभाषा है अथवा जहां की राज्य सरकारों ने हिन्दी में कामकाज और पत्रव्यवहार, आदि के लिए अपनी स्वीकृति दे रखी है, हिन्दी के प्रयोग में जो प्रगति हुई थी उसकी स्थिति क्या है ;

(ख) क्या यह सच है कि वर्तमान मंत्री के कार्य संभालने के बाद इस कार्य में ढील आ गई है; और

(ग) राजभाषा को रेलवे में जो कि वाणिज्यिक और जन सम्पर्क का संगठन है, अपना स्थान दिलाने की दिशा में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) भूतपूर्व रेल मंत्री के कार्यकाल में विभिन्न क्षेत्रीय रेलों में हिन्दी के प्रयोग में जो प्रगति हुई थी उसे कायम रखा जा रहा है। इसके अलावा सरकारी कामकाज में हिन्दी के प्रयोग बढ़ाने का प्रयत्न किया जा रहा है। इसके परिणामस्वरूप सरकारी कामकाज में हिन्दी के प्रयोग में धीरे-धीरे वृद्धि हो रही है।

(ख) जी नहीं।

(ग) राजभाषा अधिनियम / नियमों में की गई व्यवस्था के अनुसार राजभाषा हिन्दी को उचित स्थान देने के लिए रेलों पर कई कदम उठाये गये हैं। राजभाषा के प्रयोग के सम्बन्ध में जो विभिन्न अनुदेश जारी किये गये हैं, उनका पूरा-पूरा क्रियान्वयन सुनिश्चित करने पर अधिकाधिक बल दिया जा रहा है। 31-3-1976 को विभिन्न रेल कार्यालयों में 609 देवनागरी के टाइपराइटर थे जिनकी संख्या बढ़ कर अब 2006 हो गई है। रेल कर्मचारियों के लिए विभागीय हिन्दी प्रशिक्षण केन्द्रों की संख्या बढ़ाई जा रही है। इसी प्रकार रेल कर्मचारियों के लिए पुस्तकालयों एवं वाचनालयों की संख्या भी बढ़ाई जा रही है। इसके अलावा, विभिन्न रेल कार्यालयों में क्षत्रीय मण्डल/ कारखाना स्तर पर राजभाषा क्रियान्वयन समितियों का गठन किया गया है। इन समितियों की नियमित बैठकें होती है और इन बैठकों के कार्यवृत्तों पर आवश्यक कार्रवाई की जाती है। इस आशय के आदेश जारी किये गये हैं कि रेलवे अधिकारी जब कभी दौरे पर जायें तब कार्यालयों / स्टेशनों / कारखानों का निरीक्षण करते समय हिन्दी के प्रयोग में हुई प्रगति की भी समीक्षा करें।

रेलों को इस आशय के अनुदेश हैं कि हिन्दी भाषी क्षेत्रों में स्थित स्टेशनों के लिए पास, पी० टी०ओ० अतिरिक्त किराया टिकट, ब्लैंक पेपर टिकट हिन्दी में जारी किये जायें। इसी प्रकार बुकिंग स्टेशन और गन्तव्य स्टेशन दोनों ही हिन्दी भाषी क्षेत्रों में स्थित हों तथा प्रेषक ने अप्रेषण नोट हिन्दी में लिखा हो, तो रेल कर्मचारियों द्वारा रेलवे रसीद, देवनागरी लिपि (हिन्दी) में भरी जा सकती हैं। इस प्रकार हिन्दी भाषी क्षेत्रों तथा अन्य स्थानों में स्थित रेल कार्यालयों में हिन्दी के प्रयोग के कार्यक्रम में तेजी लाने के लिए पूरा प्रयास किया जा रहा है।